



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 29.03.2017

पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये पारित टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) के अनुमोदन हेतु दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई। उक्त पीटिशन के माध्यम से पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) का अनुरोध भी किया गया है।
- आयोग द्वारा तदनुसार इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :—
 1. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सहीकरण (truing up)।
 2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के सहीकरण (truing up) हेतु ₹0 57.81 करोड़ की धनराशि का अन्तर (Gap) दर्शाया गया था, जिसके विपरीत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल ₹0 29.70 करोड़ का आधिक्य (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :—

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (₹0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017-18		
		बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (MYT) में अनुमोदित	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (MYT) में अनुमोदित	प्रस्तावित
पिटकुल (ATC)	271.72	296.02	355.90	267.33
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-10.68	-	57.81	-29.70
कुल	261.04	296.02	413.71	237.63
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)			58%	-9%
